छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 3-06-2003
7-06-2003

क्रमांक एफ-14-2/03/(6)/11-8 .....राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2001 से प्रभावी "छत्तीसगढ राज्य अधोसंरचनात्मक सहायता नियम –2001" निम्नानुसार लागू करता है ।

1 परिचय :–

राज्य शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अन्य क्षेत्रो / अधिसुचित पिछडे क्षेत्रों / (अनुसूचित क्षेत्रो सहित)मे औधोगिक विकास को बढावा देने तथा उद्योगों में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने एवम महिलाओं हेतु और अधिक रोजगार सृजित करने हेतु एक योजना बनाई गई है जो दिनांक 1 नवंबर 2001 से अधोसंरचनात्मक / आधारभूत सहायता के रूप में सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी ।

इस योजना के अन्तर्गत औधोगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित होने पर अधोसंरचना लागत के आधार पर एवं अधिसूचित पिछडे क्षेत्रो (अनुसूचित क्षेत्रो सहित) में नवीन औद्योगिक इकाई के स्थापित होने पर परियोजना लागत के आधार पर राज्य शासन द्वारा सहायता दी जावेगी । न्यूनतम अनुसूचित जाति–जनजाति व महिला नियोजन पर भी अतिरिक्त आधारभूत लागत सहायता / अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है ।

इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों, वृहद एवं मध्यम उद्योगों, वृहद परियोजनाओं हेतु अलग–अलग क्षेत्रों में सहायता की मात्रा तथा सीमा अलग –अलग है।

2 नियम :–

इस योजना के नियम " छत्तीसगढ राज्य अधोसंरचनात्मक सहायता नियम – 2001 " कहे जायेगें।

3 परिभाषा :–

1– इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग लघु उद्योग वृहद – मध्यम उद्योग, अधोसंरचनात्मक लागत , अनुसूचित जाति / जनजाति, परियोजना लागत, औद्योगिक क्षेत्र के बाहर अन्य क्षेत्र सूचना हार्डवेयर इकाई आदि की वही परिभाषाए होगी जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... के द्वारा जारी की गयी है ।

2– वृहद परियोजना – राज्य शासन वाणिज्य एवं उधोग विभाग के आदेश क्रमांक –1099/वाउ /औनीप्र/2002 दिनांक 16 –4–2002 के द्वारा घोषित परिभाषा के अनुसार ।

4 योजना का कियान्यवयन :–

इस योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उसके अधिनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

P

5 अधोसंरचनात्मक सहायता की पात्रता एवं मात्रा तथा अधिकतम सीमा –

5.1 आर्थिक सहायता का आधार व मात्रा :–

कमांक	पात्रता	उद्योगो की श्रेणी	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने पर अधोसंरचना लागत का प्रतिशत (सहायता की मात्रा)	स्हायता की अधिकतम सीमा	अधिसूचित क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों सहित)में उद्योग स्थापित होने पर आर्थिक सहायता–परियोजना लागत के आधार पर	
					आर्थिक सहायता (परियोजना लागत का प्रतिशत	स्हायता की अधिकतम सीमा
1	सूचना प्रौधोगिकी हार्डवेयर इकाई	लघु मध्यम– वृहद वृहद परियोजना	25 प्रतिशत 25 प्रतिशत	रू0 100 लाख 5 वर्ष के विक्रय कर के बराबर की राशि	10 प्रतिशत 10 प्रतिशत	बिना किसी अधिमतम सीमा के बिना किसी अधिमतम सीमा के
2	थ्रस्ट श्रेणी के उद्योग (निर्यातोन्मुखी उद्योग सहित)	लघु उद्योग / मध्यम/वृहदउद्योग वृहद परियोजना	निरंक 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत	निरंक रू0 100 लाख 5 वर्ष के विक्रय कर के बराबर की राशि	10 प्रतिशत निरंक निरंक	बिना किसी अधिकतम सीमा के निरंक निरंक
3	थ्रस्ट सेक्टर को छोडकर अन्य	वृहद परियोजना	25 प्रतिशत	5 वर्ष के बराबर विक्रय कर की राशि	निरंक	निरंक
4	सभी प्रकार के अन्य उद्योग	लघु उद्योग	निरंक	निरंक	10 प्रतिशत	बिना किसी अधिकतम सीमा के

5.2 वृहद एवं मध्यम श्रेणी के समस्त नवीन उद्योग जो चाहे वे राज्य में कहीं भी स्थापित हो में काम करने वालों का 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित होने पर उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार सहायता के अतिरिक्त/ अधोसंरचनात्मक लागत का 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता पृथ्क से दी जावेगी । अनसूचित जाति/जनजाति की रोजगार संख्या कम से कम 10 होना आवश्यक होगा ।

5.3 उन नवीन उद्योगों (चाहे वे लद्यु उद्योग श्रेणी के हो या मध्यम/ वृहद श्रेणी के हो अथवा वृहद परियोजनाओं की परिधि में आते हों) को जिनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या 500 से अधिक हो अर्थात कार्यरत श्रमिकों की संख्या न्यूनतम 501 है व उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत श्रमिक, महिला श्रमिक, हों परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या रूपये 2.00 लाख,(दो लाख रू0) जो भी कम हो, वार्षिक की दर से 5 वर्षो तक अतिरिक्त अनुदान दिया जावेगा ।

5.4 अन्य क्षेत्रों में (अधिसूचित क्षेत्रों–अनुसूचित क्षेत्रों सहित–को छोडकर)जहां विभाग के औधोगिक क्षेत्र है तथा उनमें आवंटन योग्य भूमि / शेड उपलब्ध है वहां यदि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित किया जाता है तो इस योजना के अन्तर्गत पात्रता नही होगी ।

5.5 इस योजना का लाभ लेने के लिये वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के 1 वर्ष की अवधि के अन्दर पूर्ण आवेदन समस्त सहपत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

6 <u>प्रकिया :–</u>

6.1– नवीन औद्योगिक इकाई को संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास उद्योग आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित सहपत्रों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

(क)–जिस ग्राम / शहर में नवीन उद्योग स्थापित होना प्रस्तावित है, वहां कोई औद्योगिक क्षेत्र न होने / औद्योगिक क्षेत्र होने की स्थिति में आवंटन योग्य भूमि / शेड उपलब्ध न होने बाबत महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / प्रबंध संचालक, सी0एस0आई0डी0सी0 का प्रमाण पत्र

(ख)–चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी निवेश प्रमाण– पत्र उद्योग की परियोजना लागत / अधोसंरचना लागत के सबंध में ।

(ग)–परियोजना लागत /अधोसंरचना लागत के अन्तर्गत किये गये व्ययों की तिथिवार, मदवार व्ययों की सूची चार्टर्ड एकाउन्टेंट के हस्ताक्षर युक्त ।

(घ)–लद्यु उद्योग इकाई होने पर प्रस्तावित लद्यु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र / औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र (जैसी भी स्थिति हो)

(च)–मध्यम – वृहद उद्योग/ वृहद परियोजना होने की स्थिति में आई.ई.एम. / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जैसी भी स्थिति हो)

(छ)–वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने सबंधी प्रमाण पत्र /स्थायी लद्यु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।

(ज)– उद्योग प्रदेश के अधिसूचित पिछडे क्षेत्र /अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

(झ)–उद्योग में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या, उनमें अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला श्रमिकों (अलग–अलग) की संख्या का शपथ पत्र (वही संख्या मान्य होगी जिनका वेतन / मजदूरी का भुगतान उद्योग द्वारा स्वयं किया जाता है) जहां इसकी आवश्यकता हो । यह प्रमाण पत्र अनुदान की अवधि में प्रत्येक वर्ष आवश्यक होगा । जिस वर्ष निर्धारित प्रतिशत /संख्या से कम श्रमिक हो जायेंगे, उस वर्ष तत्संबंधी अनुदान की पात्रता नही होगी ।

6.2– लद्यु उद्योग के प्रकरणों में जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा व वृहद / मध्यम उद्योग/ वृहद परियोजनाओं के प्रकरणों का निराकरण राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा ।

जिला स्तरीय समिति एवं राज्य समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

<u>2.1– जिला स्तरीय समिति :–</u>

01–	कलेक्टर	अध्यक्ष
02–	संयुक्त संचालक उधोग–संभागीय उद्योग अधिकारी	उपाध्यक्ष
03–	महाप्रबंधक, छत्तीसगढ स्टेट इण्ड्रस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कापोरेशन लि0 जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का उप संचालक स्तर से कम का अधिकारी न हो ।	सदस्य

04– लीड बैक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी — सदस्य
05– जिला कोषालय अधिकारी — सदस्य
06– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र — सदस्य सचिव

2 2– राज्य स्तरीय समिति :–

01– उद्योग आयुक्त — अध्यक्ष
02– प्रबंध संचालक,सी0एस0आई0डी0सी0 / अतिरिक्त प्रबंध संचालक सी0एस0आई0डी0सी0 — सदस्य
03– उप महाप्रबंधक,भारतीय स्टेट बैंक,आंचलिक कार्या0रायपुर या उनके — सदस्य नामांकित प्रतिनिधि
04– अपर संचालक उद्योग , उद्योग संचालनालय — सदस्य सचिव

2..3 जिला स्तरीय समिति व राज्य स्तरीय समिति का कोरम 3 का होगा ।

सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति /राज्य स्तरीय समिति के अधिकार, कर्तव्य व दायित्व होगें–

1– योजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना,कार्यवाही विवरण तैयार करना अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना

2– योजना के अर्न्तगत प्राप्त क्लेमों का संकलन करना / समितियों से प्रकरणों का निपटारा करना ।

3– योजना से संबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना ।

4– दावों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना

5– यदि यह पाया जाता है कि संबंधित औद्योगिक इकाई, ने मिथ्या पूर्ण ढंग से या गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सहायता प्राप्त कर ली है तो इसका उत्तरदायी सदस्य सचिव नही होगा । समिति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । ऐसी स्थिति में इकाई को दी गई सहायता / अनुदान राशि एकमुश्त ब्याज सहित वसूली योग्य हो जावेगी ।

6– जिला स्तरीय समिति प्रति माह निर्धारित प्रारूप में प्रगति पत्रक तैयार कर राज्य समिति को अग्रेषित करेगी । इसी प्रकार योजना के सफल कियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को राज्य स्तरीय समिति को सन्दर्भित करेगी तथा इस पर जहां आवश्यक हो राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा जिसका पालन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा

6.3– जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति के कार्यक्षेत्र में होने पर प्रकरण जिला स्तरीय समिति में निर्णय हेतु रखा जावेगा तथा वृहद / मध्यम उद्योग /वृहद परियोजनाओं संबधी प्रकरण महाप्रबंधक द्वारा अभिमत के साथ राज्य स्तरीय समिति में रखने उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा, जहां से राज्य स्तरीय समिति में प्रकरण रखा जावेगा । समिति में प्रकरण का निराकरण होने पर निराकरण से संबंधित स्वीकृति / निरस्तीकरण आदेश सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जावेगा । निरस्तीकरण आदेश में कारण बताना आवश्यक होगा ।

6.4– स्वीकृति आदेश के साथ औद्योगिक इकाई व राज्य शासन के मध्य होने वाले अनुबंध का एक प्रारूप संलग्न होगा ।यह अनुबंध राज्य शासन की ओर से महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा निष्पादित किया जावेगा । संबंधित इकाई को इसका पंजीयन भी कराना होगा ।

6.5– यदि भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किसी लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जावेगी ।

7 अपील :–

जिला स्तरीय समिति के आदेश के विरूद्ध आदेश पारित होने के 30 दिवस के अंदर राज्य स्तरीय समिति को सदस्य सचिव के माध्यम से अपील की जा सकेगी व राज्य स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इकाई द्वारा 30 दिवस के अन्दर राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अपील की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

8 अनुबंध निष्पादन के पश्चात् अनुदान का वितरण, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभागीय आवंटन उपलब्ध होने पर किया जावेगा । विभागीय आवंटन उपलब्ध न होने पर विलम्ब से भुगतान हेतु राज्य शासन का कोई दायित्व नहीं होगा ।

9 **अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–**

अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई के दायित्व होंगे –

(1) यदि औद्योगिक इकाई ने रू. 1,00,000, से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, तो उसे अनुदान प्राप्ति होने के वर्ष से 5 वर्ष तक अनुदान वितरण एजेन्सी को अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होगें । रू. 1,00,000 से कम अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5 वर्ष तक देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्योग चालू रखना होगा । नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग का 6 माह से कम अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बंद की श्रेणी में नही माना जावेगा । नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जावेगा ।

(3) अधोसंरचनात्मक सहायता का वितरण होने के पश्चात् पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा न ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा । उद्योग आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुण– दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

10 **अधोसंरचनात्मक सहायता की वसुली:–**

योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता/ अनुदान राशि की वसूली निम्न स्थितियों में की जा सकेगी–

1– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर अनुदान प्राप्त कर लिया गया हो ।

2– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है ।

3– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पांच वर्षों के पहले उद्योग बंद कर दिया जाता है ।

4– यदि अनुदान वितरण एजेंसी द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा निर्धारित समयावधि में जानकारी न दी जाये ।

5– यदि उत्पादन व विक्रय संबंधी वार्षिक रिटर्न/ अंकेक्षित लेखे वितरण एजेंसी को नियमित रूप से प्रस्तुत न किये जायें ।

6– यदि औधोगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो तो आधिक्य भुगतान की राशि की वसुली की जा सकेगी ।

7– सहायता/ अनुदान की राशि की वसूली भू–राजस्व की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

11 योजना के अन्तर्गत किसी बिन्दु पर विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा

12 योजना के अंतर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

P

13 इस योजना के अन्तर्गत विवाद होने पर राज्य के ही किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
07/6/07
(अमिताभ जैन)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

9 **अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :-**

अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई के दायित्व होंगे –

(1) यदि औद्योगिक इकाई ने रू. 1,00,000, से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, तो उसे अनुदान प्राप्ति होने के वर्ष से 5 वर्ष तक अनुदान वितरण एजेन्सी को अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होगें । रू. 1,00,000 से कम अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5 वर्ष तक देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चाता न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्योग चालू रखना होगा । नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग का 6 माह से कम अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बंद की श्रेणी में नही माना जावेगा । नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय रांज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जावेगा ।

(3) अधोसंरचनात्मक सहायता का वितरण होने के पश्चात् पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा न ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा । उद्योग आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुण– दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

10 **अधोसंरचनात्मक सहायता की वसुली:–**

योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता/ अनुदान राशि की वसूली निम्न स्थितियों में की जा सकेगी–

1– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर अनुदान प्राप्त कर लिया गया हो ।

2– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनु.सूचित जाति / जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है ।

3– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पांच वर्षों के पहले उद्योग बंद कर दिया जाता है ।

4– यदि अनुदान वितरण एजेंसी द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा निर्धारित समयावधि में जानकारी न दी जाये ।

5– यदि उत्पादन व विक्रय संबंधी वार्षिक रिटर्न/ अंकेक्षित लेखे वितरण एजेंसी को नियमित रूप से प्रस्तुत न किये जायें ।

6– यदि औधोगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो तो आधिक्य भुगतान की राशि की वसुली की जा सकेगी ।

7– सहायता/ अनुदान की राशि की वसूली भू–राजस्व की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

11 योजना के अन्तर्गत किसी बिन्दु पर विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा

12 योजना के अंतर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

13 इस योजना के अन्तर्गत विवाद होने पर राज्य के ही किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
07/6/07
(अमिताभ जैन)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर